Prof Reader/ S. No. (7) 301

रजि. सं. डी. एल.-33001/99 REGISTERED NO. D. L.—33001/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 18, 2000/कार्तिक 27, 1922
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 18, 2000/KARTIKA 27, 1922

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए गए सारी किस्म के साधारण प्रकृति के विनियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपविधियां आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2000

सा.का.नि. 447.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और 1984 के भर्ती नियमों, जहां तक इनका संबंध प्रूफ रीडर के पद से है, का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य. निदेशक का कार्यालयों में प्रूफ रीडर के उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक का कार्यालय (प्रूफ रीडर) भर्ती नियम, 2000 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना : ये नियम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में स्थित जनगणना कार्य निदेशक का कार्यालय में प्रूफ रीडर के पद पर लागू होंगे ।

3038 GI/2000—1

302

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और उसके लिए जो भी कारण हों उन्हें लेखबद्ध करके किसी भी कार्यालय में जिन पर ये नियम लागू होते हैं और जिसके लिए वह नियुक्ति प्राधिकारी है उसकी बाबत, उक्त पदों में हुई किसी रिक्ति को किसी अन्य कार्यालय में; जिस पर ये नियम लागू होते हैं, उसी पद को धारण किए हुए किसी व्यक्ति के विलय द्वारा भरने का आदेश दे सकेगा :

बशर्ते कि विलियत किए जाने वाले व्यक्ति ने ऐसे विलय के लिए लिखित रूप से अनुरोध किया हो ।

बशर्ते कि इस प्रकार विलयित व्यक्ति को उस ग्रेड में उन सभी व्यक्तियों से नीचे रखा जाएगा जो उस ग्रेड में पहले से ही नियमित आधार पर नियुक्त किए गए हों ।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित-जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन-सह-वरिष्ठता/ गुणावगण अनुसार चयन अथवा अचयन है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
प्रूफ रीडर	21* *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4500-125-7000 रु.	लागू नहीं	25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक)	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समतुल्य से डिग्री प्रूफ रीडिंग और तकनीकी मार्किंग का 2 वर्ष का अनुभव । वांछनीय : डस्क टाप पब्लिशिंग टेक्नोलॉजी में प्रवीणता ।	लागू नहीं	दो वर्ष (केवल सीधी भर्ती वालों के लिये)

भर्ती की पद्धति, क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/विलय द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलय द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलय किया जाएगा
11	12
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती/विलय द्वारा (अल्पकालिक रिक्तियां केवल प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी)	प्रतिनियुक्ति/आमेलन केन्द्रीय/राज्य सरकारों के ऐसे कर्मचारी जो सदृश पद धारण किए हों या जिन्होंने 3050—4590 रुपये के वेतनमान वाले पदों पर कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो और सीधी भर्ती वालो के लिए निर्धारित अर्हताएं रखते हों । इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व उसी संगठन/विभाग में धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यता 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति (भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के लिए) : (1) उप निदेशक/अवर सचिव (प्रशा.) —अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक (प्रशा.) —सदस्य (3) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह 'क' अधिकारी जो अधिमानतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो —सदस्य	शून्य

304

13

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (कलकत्ता स्थित भाषा प्रभाग के लिए) :

(1) उप महारजिस्ट्रार (भाषा) या सहायक महारजिस्ट्रार (भाषा) —अध्यक्ष

(2) सहायक महारजिस्ट्रार (भाषा) या भाषा-विद या अनुसंधान अधिकारी (भाषा) या सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) —सदस्य

(3) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह 'क' अधिकारी, अधिमानतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो —सदस्य

समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति (राज्यों/संघ राज्यक्षत्रों में स्थित सम्बन्धित जनगणना निदेशालयों के लिए)

1. उप निदेशक/सहायक निदेशक, जनगणना कार्य या सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) —अध्यक्ष

2. उप निदेशक, जनगणना कार्य या सहायक निदेशक जनगणना कार्य या सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) —सदस्य

3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह 'क' अधिकारी, अधिमानतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित —सदस्य

[फा.सं. ए-16011/13/2000-प्रशा. 2]

जयन्त कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 2nd November, 2000

G.S.R. 447.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Recruitment Rules, 1987 in so far as they relate to the post of Proof Reader except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Proof Reader in the office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union Territories viz:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union Territories [Proof Reader] Recruitment Rules, 2000.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the post of Proof Reader in the office of the Registrar General, India and each of the offices of the Directors of Census Operations in the States and Union Territories.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

Provided that the appointing authority concerned may, if it considers necessary or expedient so to do having regard to the circumstances of the case and for reasons to be recorded in writing, order any vacancy in the said posts in any of the offices to which these rules apply and in relation to which he is the appointing authority to be filled by the absorption of a person holding the same post in any of the other offices to which these rules apply, provided that the person to be absorbed has made a request in writing for such absorption.

Provided further that the person so absorbed shall be placed below all persons already appointed on regular basis to the grade to which he is appointed on such absorption.

5. Disqualification.—No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reason to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the members of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accorance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection cum Seniority or Selection by Merit or Non selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension) Rules 1972
1	2	3	4	5	6	7
Proof Reader	21*	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 4500-125-7000	Not Applicable	Not exceeding 25 years (relaxable upto 35 years for Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	No

*Subject to variation dependent on work load.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees
8	9
Essential : Degree from a recognised University or equivalent. Two years experience of Proof reading and technical marking. Desirable : Proficiency in Desk Top Publishing technology.	Not Applicable

306

Period of probation if any	Methed of recruitment, Whether direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.
10	11	12
2 (two) years (for direct recruits only)	Deputation failing which by direct recruitment/absorption. (Short terms vacancies will be filled by deputation only).	Deputation/Absorption : Officers of the Central/State Governments holding analogous post or whith at least three years regular service in posts carrying pay scale of Rs. 3050-4590 and possessing qualifictions prescribed of direct recruits . (Period of deputation including the period of deutation in another ex-cadre post held immediately proceding in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years). The maximum age limit for appointment by deputation should not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for the office of the Registrar General, India) : 1. Deputy Director/Under Secretary (Admn.)—Chairman 2. Assistant Director (Admn.)—Member 3. A Group 'A' officer of another Central Government Office preferably belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes—Member Group 'C' Departmental Promotion Committee (for the Language Division at Calcutta) : 1. Deputy Registrar General (Language) or Assistant Registrar General (Language)—Chairman. 2. Assistant Registrar General (Language) or Linguist or Research Officer (Languages) or Assistant Director of Census Operation (Technical)—Member. 3. A Group 'A' officer of another Central Government Office preferably belonging to the Scheduled Castes/the Scheduled Tribes—Member. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for the respective census Directors of Census Operations in States/Union Territories) : 1. Deputy Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations (Technical)—Chairman 2. Deputy Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations (Technical)—Member 3. A Group 'A' officer of another Central Government Office, preferably belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes—Member	Nil.

[F.No. A-16011/13/2000-Ad.II]

J. K. BANTHIA, Registrar General.